न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 135/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/186)

निगरानीकर्ता:–

कल्याण कंवर पत्नी श्री हरि सिंह उम्र 68 वर्ष निवासी मोगडा खुर्द, ग्राम पंचायत मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. ग्राम पंचायत, मोगडा कला जरिये सरपंच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. केवलराम पुत्र भोपालराम जाति देवासी निवासी मोगडा खुर्द, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा सं. 43 दिनांक 18.11.2019 मिसल सं. 18/2018–19 दायर दिनांक 20.08.2019 प्रस्ताव संख्या– 0 ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा अप्रार्थी सं. 02 के पक्ष में जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री मोती सिंह, श्री करण सिंह (प्रार्थी पक्ष की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री हरिराम भीम (अप्रार्थी सं. 02 की ओर से)

निर्णय **दिनांक : 26.05.2025**

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोगडा कला, पं.स. लूणी द्वारा मिसल सं. 18/2018–19, पट्टा बुक सं. 42 में जारी पट्टा सं. 43 दिनांक 18.11.2019 बहक श्री केवलराम पुत्र भोपालराम देवासी को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 22.03.2021 को पेश की गई।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 02 केवलराम, पट्टा धारी की ओर से श्री हरिराम भीम, एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

3. निगरानी के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र, धारा 5 म्याद एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, निगरानी की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया गया है।

अप्रार्थी की ओर से जवाब निगरानी, स्थगन प्रार्थना पत्र, धारा 5 म्याद एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब, अनुमति देने के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया।

4. निगरानी मीमों के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पचांयत मोगडा कला द्वारा दिनांक 18.11.2019 को मिसल सं. 18/2018–19 में अप्रार्थी केवलराम को जारी किया गया पट्टा नियमों के विपरीत जारी किया गया है क्योंकि पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत की साधारण सभा में प्रस्ताव पेश नहीं किया, पंचायत का निर्णय नहीं है, प्रार्थी ने पट्टा हेतु आवेदन नहीं किया, हस्ताक्षरित आवेदन मिसल में नहीं है, पुराना मकान भूखण्ड पर निर्मित नहीं है, शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र के कॉलम खाली है, नक्शे पर प्रार्थी व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, नक्शा मनमर्जी से बनाया है। निरीक्षण कमेटी का पत्र फर्जी है। ग्राम पंचायत ने उनकी नियुक्ति नहीं की है। सार्वजनिक इश्तियार पर मिसल सं. व भूमि की स्थिति प्रकट नहीं की है। निरीक्षण प्रपत्र में भूमि का स्थान नहीं बताया हैं। आवेदक व पडौसी के बयान रिकॉर्ड नहीं किये है। भूमि पर 40 वर्षो से कोई कब्जा नहीं है। नियमन नहीं हो सकता। निलामी होनी चाहिए। बेशकीमती भूमि है। मात्र 200 रूपये में पट्टा दिया गया है। पट्टाधारी का मौके पर पुराना या नया कब्जा नहीं है। निगरानीकार उक्त पट्टा जारी करने से अपने मकान के अधिकार से वंचित हो गई है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पारिवारिक अधिकारों की भूमि है। अप्रार्थी सं0 02 का कोई अधिकार नहीं है। अतः मिसल सं. 18/2018–19 में पारित आदेश दिनांक 18.11.2019 को खारिज कर पट्टा सं. 43 को निरस्त करावे।

5. अप्रार्थी सं0 02 ने निगरानी में अंकित अभिकथनों का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया कि प्रार्थीया के पास धारा 61 में अपील पेश करने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, जो 30 दिन में पेश करनी थी। निगरानीकार व्यथित व्यक्ति नहीं है। प्रार्थीया द्वारा झूठे तथ्यों पर बदनियति से यह निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 18.11.2019 को आदेश पारित नहीं किया है। पंचायती राज नियमों का सही विश्लेषण नहीं किया है। पट्टा नियमानुसार प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा लगाए गये समस्त आक्षेप व आरोप झूठे, मनगढंत तथा रिकॉर्ड के खिलाफ है। प्रार्थना पत्र में पडौस, नाप–जोख सही लिखे हुए है। भूखण्ड पर मकान है जिसकी पुष्टि पडौसी गवाहों ने की है। कब्जा पुराना है। प्रार्थीया अवैध तरीके से अप्रार्थी की भूमि पर कब्जा करके स्वयं नियमन

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

करवाना चाहती है। पंचायत द्वारा प्रस्ताव पास करके पट्टा जारी किया गया है, जो नियमानुसार सही है। मौका रिपोर्ट सही है। प्रक्रिया पूरी अपनाई है। निगरानी खारिज की जावे।

6. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

7. प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता श्री करण सिंह ने निगरानी मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि 1996 के नियम 157 (1) में सिर्फ आवासीय प्रयोजनार्थ पुराने निर्मित गृहों का नियमितीकरण किया जा सकता है। इस प्रकरण में पट्टा सं. 43, मिसल सं. 18 पट्टा रिक्त (खाली) भूमि का पट्टा जारी किया है, भूखण्ड पर कोई निर्माण नहीं है। पत्रावली पर आवेदक का कोई आवेदन पत्र नहीं है, फिर भी पट्टा जारी किया गया है। शपथ पत्र में पडौस के कॉलम खाली है। खसरा नंबर भी नहीं लिखा है। बिंदु सं0 8 में कब्जे की अवधि नहीं लिखी है। पट्टा केवलराम के नाम जारी किया है। स्टांप हस्ते सोनाराम ने खरीदा है, मानाराम के नाम खरीदा है, इस स्टांप से केवलराम का लेना देना ही नहीं है। मौका रिपोर्ट पर सिर्फ सरपंच के हस्ताक्षर है। ग्राम सेवक व पंचों के हस्ताक्षर नहीं है तथा भूमि का स्थान भी नहीं लिखा है। प्रपत्र 22 में मिसल का कॉलम खाली है। केवलराम के रिकॉर्ड में हस्ताक्षर नहीं है। नियम 146(3) में तैयार निरीक्षण पत्र भी अपूर्ण है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने में भारी अनियमितता एवं अवैधानिकता की है। अतः पट्टा खारिज किया जावे।

8. अप्रार्थी सं. 02 के विद्वान अधिवक्ता श्री हरिराम भीम ने निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर एतराज करते हुए तर्क दिया कि प्राइवेट व्यक्ति में से केवल वही व्यक्ति निगरानी पेश कर सकता है जो हितबद्ध व्यक्ति हो। प्रार्थीया ने हितबद्ध व्यक्ति होने का कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः धारा 97 में उसके द्वारा निगरानी पेश नहीं जा सकती।

निगरानी कर्ता कल्याण कंवर मोगडा खुर्द की निवासी नहीं है तथा जाति राजपूत नहीं है। गलत शपथ पत्र दिया है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

निगरानी बहुत देरी से पेश की है। विलंब का कोई कारण नहीं बताया है। देरी का स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। अतः म्याद बाहर निगरानी अस्वीकार की जावे। दिनांक 18.11.2019 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने का कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है। अगर प्रार्थीया व्यथित व्यक्ति है तो उसे अनुतोष हेतु सिविल कोर्ट जाना चाहिए। पट्टा नियम 157 के विरूद्ध जारी करने का कोई सबूत पेश नहीं किया है। अप्रार्थी सं. 2 को नियम 157 (1)(ख) में 200 रूपये की राशि लेकर पट्टा नियमितीकरण का जारी किया है, जो पिछले 50 वर्षों की अवधि में पुराना कब्जा है। पट्टा जारी करने में नियमों की पूरी प्रक्रिया अपनाकर पालना

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

की गई है। निगरानी में आदेश की तारीख गलत लिखी है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.11.2019 को पट्टा जारी करने का निर्णय लिया था। अप्रार्थी को मात्र 20 गुणा 20 फीट की भूमि का पट्टा दिया है जो बेशकीमती नहीं है। पंजीयन कराया जा चुका है। अतः पट्टा सही जारी किया है। निगरानी खारिज की जावे।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भलीभांति अध्ययन कर अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया। इस न्यायालय का विनिश्चय इस प्रकार है:–

a) प्रत्यर्थी केवलराम ने 44.444 वर्गगज भूमि का ग्राम मोगडा खुर्द की आबादी भूमि में भूमि विलेख प्राप्त करने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत को दिनांक 26.06.2019 को किया, जिसके पडौस इस प्रकार है– पूर्व में झूमरलाल दर्जी, पश्चिम में स्वयं का भूखण्ड, उत्तर में रास्ता, दक्षिण में कानाराम देवासी। भूमि पर आधिपत्य कब से व किस प्रकार से है, इस बाबत कॉलम सं. 5 रिक्त है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 (जिसे आगे 1996 के नियम से संबोधित किया गया है) के नियम 145 के तहत प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.08.2019 को ग्राम पंचायत की बैठक में रखना आदेशिका में अंकित है तथा 1996 के नियम 146 (1) के तहत मिसल प्रपत्र 21 में दर्ज कर नक्शा नवीस सोनाराम व मौका निरीक्षण हेतु वार्ड पंच श्रीमती सायरी, श्रीमती मेकूदेवी, श्री भीमाराम पटेल को नियुक्त किया गया, परंतु आदेशिका में ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव सं. का अंकन नहीं है। ग्राम पंचायत मोगडा कला का बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 20.08.2019 का अवलोकन किया, इसमें प्रस्ताव सं. 5, जिसमें मिसले सं. 01 से .... तक कायम करने का अंकन है।

b) दिनांक 05.09.2019 की आदेशिका अनुसार, दिनांक 20.08.2019 के प्रस्ताव सं. 05 की पालना में नियम 146 (2) के तहत गठित कमेटी ने नियम 146 (3) के तहत राय देने का उल्लेख है। नक्शे का नाप सही होना, पुराना कब्जा होना, मकान बना होना तथा अड़चन नहीं होने का अंकन है तथा नियम 148 के तहत प्रपत्र 22 में सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की गई है, परंतु इसमें पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव सं. का अंकन नहीं है। दिनांक 05.09.2019 का पंचायत बैठक रजिस्टर देखा गया, जिसमें प्रस्ताव सं. 5 में मिसल सं. 01 से... तक का अंकन है। पत्रावली पर कमेटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है तथा न ही निगरानीकार ने प्रति पेश की है, नक्शा की प्रति है, जिसमें पडौस दर्ज है। नाप 20 फीट गुणा 20 फीट लिखा है। नक्शा पर सिर्फ प्रकाश, सरपंच के हस्ताक्षर है। कमेटी सदस्यो व नक्शा नवीस आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है। पडौस प्रार्थना पत्र अनुसार है। प्रपत्र 22 में सार्वजनिक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सं. 18 दिनांक 05.09.2019 की सूचना की प्रति पत्रावली पर है, जिसमें पडौस आवेदन अनुसार ही अंकित है। मिसल सं. का कॉलम खाली है। अप्रार्थी का नाम व पता जरूर लिखा है। परंतु इस सार्वजनिक नोटिस को सार्वजनिक स्थानों तथा प्रभावित संपति पर चस्पा करने का नोटिस पर कोई इबारत/रिपोर्ट अंकित नहीं है, जो कि कानूनी रूप से आवश्यक है। यह नोटिस रूबरू मौतबिरान चस्पा होना चाहिए तथा चस्पा करने की तारीख व चस्पा करने वाले का नाम पता जरूर होना चाहिए ताकि एक माह की अवधि की गणना की जा सके।

c) दिनांक 22.10.2019 की आदेशिका में आपत्ति नोटिस तामिल होना बताया है तथा कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने के कारण तथा आवेदक का पुराना कब्जा होने से भूमि विकय नहीं की जा सकती तथा नियम 157(1)(ख) के तहत भूमि विकय का स्थायी निर्णय लेने का अंकन है। पुराना कब्जा के सबूत में दो गवाह के बयान लेने का निर्णय किया जाने का उल्लेख है परंतु इस आदेशिका में भी ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या का उल्लेख नहीं है। बैठक रजिस्टर दिनांक 22.10.2019 का अवलोकन किया जिसमें प्रस्ताव सं. 04 में मिसल सं. 01 से ..... में नियम 157 (1)(ख) के तहत भूमि विकय का निर्णय लिया गया, का अंकन है परंतु इस प्रस्ताव पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। बैठक की शुरूआत में सरपंच प्रकाश, सायरी, कानाराम व एक अन्य के हस्ताक्षर है। दिनांक 05.11.2019 बैठक रजिस्टर में प्रस्ताव सं. 04 में भूमि विकय वर्ष 2019-20 की मिसल सं. 01 से ...... तक पेश होना लिखा है कि प्रार्थी के आवेदन पत्रों, स्वयं का शपथ पत्र, पंचायतों की रिपोर्ट व गवाहों के बयानों के आधार पर 40 वर्षो से अधिक पुराना कब्जा मानकर नियम 157 (1)(ख) के तहत 200 रूपये की राशि लेकर पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पास किया।

d) आदेशिका में रसीद सं. 18 दिनांक 14.11.2019 से 200 रूपये जमा होने पर पट्ट बुक सं. 42, पट्टा सं. 43 जारी करने का उल्लेख है। पट्टा बुक सं. 42 पेज 1 से 50 तक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणी से जारी होना अंकित है परंतु प्रमाण पत्र पर विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। इस बुक में पट्टा सं. 43 की प्रति उपलब्ध है, जिसमें दिनांक 18.11.2019 को मोगडा खुर्द में 44.44 वर्गगज भूखण्ड का आवासीय पट्टा केवलराम पुत्र भोपालराम के पक्ष में 1996 के नियम 157 (1)(ख) के अंतर्गत रसीद सं. 18 दिनाक 14.11.2019 से राशि वसूल की जाकर जारी किया है, जिस पर मिसल सं. 18 दायरा दिनांक 20.08.2019 अंकित है, यह विलेख प्रारूप 23 क में जारी किया

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

है। पट्टा पर सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी एवं केवलराम के हस्ताक्षर है, जिसके पडौस उत्तर में रास्ता, दक्षिण में कानाराम देवासी, पूर्व में झूमरमल दर्जी तथा पश्चिम में स्वयं का भूखण्ड होना दर्ज है तथा यह पट्टा संकल्प सं. 4 दिनांक 05.11.2019 की पालना में जारी करना अंकित किया है।

e) केवलराम द्वारा 50 रूपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र नोटेरी से तस्दीक करवाकर पेश किया है, जिसमें पहले मानाराम पुत्र भोपालराम टाईप किया हुआ है, जिसे काटकर–केवलराम किया है, यह स्टांप मानाराम के नाम से दिनांक 16.10.2019 को क्रय किया है। शपथ पत्र में प्लॉट की भूमि के पडौस अंकित नहीं है। कब्जा कितने वर्ष पुराना है, अंकित नहीं है। पत्रावली पर खनाराम पुत्र गोकलराम देवासी के बयान है, जो पूर्व में प्रिन्टेड फार्म में है तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति की है जिसमें केवलराम का पुराना मकान कब्जा होना बताया है।

f) उक्तानुसार अभिलेख की तथ्यात्मक स्थिति की जांच करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत ने निगरानीधीन पट्टा जारी करने में 1996 के नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना नहीं की है।

i. आवेदक ने आवेदित भूखण्ड पर उसका दिनांक 30.12.1996 से पूर्व के 50 वर्षों के दौरान पुराना कब्जा/आवासीय प्रयोजनार्थ निर्मित गृह का कोई सबूत पेश नहीं किया है। आवेदन पत्र में इस बाबत कोई जिक्र नहीं है। शपथ पत्र में कब्जे की अवधि का कॉलम रिक्त है। गवाह के बयान मात्र औपचारिकता पूरी करने के लिए पूर्व में छपे पत्र पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिए गये है। शपथ पत्र का स्टांप मानाराम के नाम क्रय किया है परंतु काटछांट कर केवलराम ने उस पर शपथ पत्र लिखा है, जिसमें विक्रीत भूखण्ड के पडौस तक दर्ज नहीं है।

ii. इसी प्रकार नियम 146 के तहत मौका जांच कमेटी द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट एवं तैयार नक्शा पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है।

iii. नियम 148 के तहत प्रपत्र 22 में दिनांक 05.09.2019 को नोटिस जारी करना बताया है परंतु यह नोटिस सार्वजनिक स्थानों पर व विक्रीत संपति पर रूबरू मौतबिरान, अधिकृत व्यक्ति द्वारा चस्पा ही नहीं किया है जो एक गंभीर अवैधानिकता है। यह नोटिस चस्पा नहीं होने से आम जनता को आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर, एक माह की अवधि के साथ नहीं मिला, फिर भी ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही में झूठा कथन किया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

iv. ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्तावों में मिसल सं. 01 से .... तक पर निर्णय लिया अंकित है, जो गलत है तथा भविष्य में हेराफेरी करने का दरवाजा खुला छोड दिया है। यह गंभीर अनियमितता है।

v. इसके अतिरिक्त नियमित भूखण्ड के पास पडौस में अप्रार्थी केवलराम ने स्वयं का भूखण्ड होना बताया है अर्थात् अप्रार्थी सं. 02 आवासविहिन व्यक्ति नहीं है। विक्रीत भूखण्ड पर 50 वर्ष पुराना कब्जा होने का कोई सबूत पत्रावली पर मौजूद नहीं है तथा नियम 157(1)(ख) के तहत खाली भूखण्ड का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है।

g) उपर्युक्त विश्लेषणानुसार, अप्रार्थी सं. 02 को पट्टा विलेख सं. 43 दिनांक 18.11.2019 से किया गया विक्रय 1996 के नियमों के विपरीत होने से पट्टा विलेख एवं पारित प्रस्ताव अपास्त योग्य है।

10. निगरानीकार ने व्यथित व्यक्ति बताकर, यह निगरानी इस आधार पर पेश की है कि पट्टा जारी करने से वह मकान के अधिकार से वंचित हो गई है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया की पारिवारिक अधिकारों की भूमि है। प्रार्थीया का उक्त कथन साक्ष्य के अभाव में मानने योग्य नहीं है। अप्रार्थी ने प्रार्थीया का मोगडा खुर्द/कला का निवासी होने से इन्कार किया है। पत्रावली पर निगरानी के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है, जिससे प्रार्थीया का विवादित भूखण्ड पर पुराना कब्जा हो तथा उसने ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त करने हेतु कभी आवेदन भी पेश किया हो। मात्र मौखिक कथनों के आधार पर प्रार्थीया को व्यथित पक्षकार (Aggrieved Person) नहीं माना जा सकता। व्यथित व्यक्ति को ग्राम पंचायत के आदेश के विपरीत 1994 के अधिनियम की धारा 61/नियम 166 के अंतर्गत एक माह की अवधि में नियमित अपील करने का विकल्प उपलब्ध है।

प्रार्थीया द्वारा भूमि के विक्रय में अनियमितता को इस न्यायालय के ध्यान में लाए जाने पर यह निगरानी स्वप्रेरणा से दर्ज की जाना शुमार की जाती है तथा प्रार्थीया द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रार्थीया व्यथित व्यक्ति नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

11. पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी पेश करने हेतु कोई म्याद निर्धारित नहीं है। फिर भी निगरानी समुचित समय के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए, परंतु जहां विधि प्रावधानों का उल्लंघन करके पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा आदेश/संकल्प पारित किये जाते है जो सार्वजनिक हित में उन्हे कभी भी अपास्त करने हेतु राज्य सरकार सक्षम है। यह निगरानी दिनांक 18.11.2019 को

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जारी पट्टे को निरस्त करने हेतु दिनांक 22.03.2021 को पेश की है तथा भारी अनियमितता पाई गई है। अतः समय सीमा में शुमार की जाती है।

आदेश

12. उपर्युक्त विवेचनानुसार यह निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा मिसल सं. 18/2018–19 दर्ज दिनांक 20.08.2019, पट्टा बुक सं. 42 में जारी निगरानीधीन पट्टा सं. 43 दिनांक 18.11.2019, प्रस्ताव सं. 04 दिनांक 05.11.2019, बहक श्री केवलराम पुत्र भोपालराम देवासी, निवासी मोगडा खुर्द बनाप 44.44 वर्गगज को खारिज किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा (इस पट्टे की हद तक) प्रस्ताव सं. 05 दिनांक 05.09.2019, प्रस्ताव सं. 04 दिनांक 22.10.2019 प्रस्ताव सं. 04 दिनांक 05.11.2019 अपास्त किये जाते है।

13. अप्रार्थी सं. 02 श्री केवलराम नए सिरे से ग्राम पंचायत में उक्त भूखण्ड बाबत पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। उसके द्वारा आवेदन करने पर ग्राम पंचायत नियमों में दिये गये प्रावधानों की अक्षरशः पालना करते हुए, आवेदन का विधि अनुसार निपटारा करने हेतु स्वतंत्र है।

14. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत मोगडा कला को लौटाया जावे।

15. इस प्रकरण में लंबित अन्य समस्त आवेदन पत्र निस्तारित किये जाते है।

16. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर